अज अदालत

बनाम

सन्

किस्म मुकदमा नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/6	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त होने [illegible] पेशी इत्तला को लेकर पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो । आज्ञा है । 6/7/22	
06/07/2022	पत्रावली पेश। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.02.2021 के अनुसार इस न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आलोक में उभय-पक्षकारान को सुन कर प्रत्येक पक्ष की मांग की आत्यंतिक आवश्यकता का आकलन करते हुए बाद सुनवाई समुचित आदेश पारित करें। इस बाबत वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवम् मौके की स्थिति जानने हेतु	

मौका रिपोर्ट संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 24.09.2019 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया जाकर 209/15, 209/17, 209/13, 209/20 गै.मु. रास्ता, राज. सरकार के खाते में दर्ज है।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित आदेश को अपने निर्णय में अपास्त किया गया है।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता सबसे कम रकबे को प्रभावित करता है एवम् अधिकतर खातेदारान को फायदा पहुँचाता है।

(नियम 26)

अज अदालत _____ मुकाम _____

_____ बनाम _____

किस्म मुकदमा _____ नं. _____ सन् _____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन करने से उभर कर आता है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 209 में जाने हेतु खसरा नं. 207 में होकर रास्ता चाहा है। परंतु पत्रावली में प्रस्तुत समस्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नं. 209 सड़क से लगा हुआ है। प्रार्थीगण इसी खसरे के सड़क से इर वाले हिस्से पर काबिज है। हालांकि सह-खातेदारी में प्रत्येक खातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर बराबर हक माना जाता है परंतु सह-खातेदार किसी विवाद के चलते रास्ता बन्द कर देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक काश्तकार को स्वयं के कब्जा-काश्त वाले हिस्से पर आवागमन हेतु	

तारीख हुक्म

बारहमासी रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होती है। अतः प्रार्थी के आवागमन हेतु आत्यंतिक आवश्यकता रास्ते हेतु है।

प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 209/7 से रास्ते की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता उचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा स्वयं के खसरे में से अथवा निकटतम रास्ते हेतु मांग की जानी चाहिए।
राजस्थान ~~251A~~ काश्तकारी अधिनियम की धारा 251A की मंशा प्रत्येक काश्तकार को उसकी जोत तक पहुँचने हेतु रास्ता प्रदान करने की है। परंतु दिया गया रास्ता कम से कम रकबे को प्रभावित करना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 251A, राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 के अनुसार निम्न निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंचता है।

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता:- चूंकि प्रार्थीगण का कब्जा-काश्त मार्ग से लगता हुआ नहीं है अतः एक ऐसे रास्ते को जिसपर प्रार्थीगण बेरोकटोक वर्षभर आवागमन कर सकें, की आवश्यकता है।

2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव:- वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जो इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश के आधार प्रभाव में आया। इस राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी जोत तक रास्ता प्राप्त हो जायेगा। इस दर्ज रास्ते के सिवाय कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

3. प्रस्तावित रास्ता निकटतम, सुगमतम एवम् कम से कम रकबे को प्रभावित

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करता है। प्र. अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौजा में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता $\frac{209}{15}$, $\frac{209}{17}$, $\frac{209}{13}$, $\frac{209}{20}$ कम से कम रकबा प्रभावित करते हुए समस्त खातेदारों को कब्जा-काश्त अनुसार उनकी जोत तक पहुँचने हेतु मार्ग उपलब्ध करवाता है।

अतः यह न्यायालय पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2019 के आधार पर दर्ज मौ.कु. रास्ता को यथावत रखने का आदेश देता है। मौका फर्द दिनांक 21.06.2022 आदेश का अंग समझा जावे। तदनुसार पालना सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

[signature] 06.07.2022